



## 05 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/ प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा/मुस्करा/सिसोलर के 05 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

### जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) लवलेश पुत्र श्री शिव नारायण निषाद निवासी ग्राम मनकी कला थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दिनांक 25.07.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 2) कुलदीप पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम लोधा मऊ थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दिनांक 25.07.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 3) निरंजन राजपूत पुत्र श्री जयप्रकाश राजपूत निवासी ग्राम लोधा मऊ थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दिनांक 25.07.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 4) मलखान सिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम हरसुडी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 25.07.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 5) शिवम राजपूत पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.07.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।